राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4355/2024

रामनिवास पुत्र श्री राजाराम मोडायत, उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासी बीकानेर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. किरण उर्फ टीना पुत्री श्री श्रवण कुमार, निवासी तलरिया बास, रायसर, पी.एस. नोखा, बीकानेर, वर्तमान में नेहा गर्ल्स पीजी, लक्ष्मी विहार, जयपुर रोड, बीकानेर, पी.एस. सदर बीकानेर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री निशंक मधान

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/07/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पुलिस स्टेशन जामसर, जिला बीकानेर में आईपीसी की धारा 341, 323, 363, 342, 328, 365, 376, 376-डी, 382, 506 और 34 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 163/2023 दिनांक 10.10.2023 को रद्द करने की मांग कर रहा है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्यों का सारांश इस प्रकार है: शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बलात्कार किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरोप अस्पष्ट हैं और सबूतों से समर्थित नहीं हैं।

2.1 एफआईआर से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 151/2024 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की तथा निर्देश दिया कि प्रतिवेदन पर निर्णय होने तक कोई गिरफ्तारी न की जाए।

2.2 याचिकाकर्ता ने बाद में इस न्यायालय के समक्ष एक और आपराधिक विविध याचिका संख्या 1014/2024 दायर की। 21.02.2024 के अपने आदेश में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कहा कि यदि जांच में अपराध सिद्ध पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता को किसी भी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, जिससे याचिकाकर्ता को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति मिल सके।

2.3 22.05.2024 को, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया, जिसमें जांच के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। इसलिए, यह याचिका।

3. उपरोक्त के प्रकाश में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है, और मैंने केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य बिंदुओं के अलावा तर्क दिया है कि एफआईआर याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी विशिष्ट अपराध का खुलासा नहीं करती है। वकील का तर्क है कि पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है, न ही उसके खिलाफ कोई विशेष आपराधिक कृत्य दर्ज है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे पुलिस ने सिर्फ़ इसलिए झूठा फंसाया है क्योंकि वह उस कमरे का मालिक है जहाँ कथित अपराध हुआ था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने मुख्य अभियुक्तों को उनके इरादों से अनजान रहते हुए सद्भावनापूर्वक चाबियाँ दी थीं।

4.1 इसके अलावा, शिकायतकर्ता और मुख्य आरोपी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। याचिकाकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था क्योंकि वह शहर से बाहर था। याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है, और इसलिए, उसके खिलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जांच जारी है और जांच के दौरान सच्चाई सामने आएगी। उनका तर्क है कि केवल इस अदालत के समक्ष दायर याचिका/शपथपत्र की सामग्री के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी अभी जांच होनी बाकी है।

6. दलीलें सुनने और केस फाइल और एफआईआर की सामग्री की समीक्षा करने के बाद, मुझे लगता है कि इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत तर्क और याचिका में दिए गए आधार तथ्यात्मक दावे हैं। इस अदालत के हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी अनियमितता या अवैधता नहीं बताई गई है।

7. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क उचित प्रतीत होता है।

8. इस स्तर पर, न्यायालय की प्राथमिक भूमिका यह पता लगाना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और परिणाम के आधार पर, या तो क्लोजर रिपोर्ट या बाद में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, यदि आरोप-पत्र दायर किया जाता है।

9. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय में निहित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब एफआईआर को पढ़ने पर, न्यायालय में आने वाले आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

10. वर्तमान मामले में, एफआईआर को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। सच्चाई केवल जांच या परीक्षण के दौरान ही सामने आएगी, और इस न्यायालय को इस मामले पर इस प्रारंभिक चरण में कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए।

11. एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका को अनुमति देना तब तक उचित नहीं है जब तक कि चल रही कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। इसके अलावा, एफआईआर में आरोपों में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं जिनकी जांच और पुष्टि की जानी चाहिए। मामले की योग्यता की जांच किए बिना निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा। इस स्तर पर एफआईआर को रद्द करना उचित नहीं होगा। आरोपों की सत्यता के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसलिए, किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना उचित है।

12. जबकि अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन और आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

13. वर्तमान मामले के तर्कों और तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मुझे लगता है कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

14. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। याचिका खारिज की जाती है, तथा याचिकाकर्ता को जांच पूरी होने के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित चरण में कानून के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

15. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने को एफआईआर में लगाए गए आरोपों और याचिकाकर्ताओं के कथनों के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। जांच एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी, बिना ऊपर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए, जो केवल तत्काल याचिका को खारिज करने के उद्देश्य से हैं।

16. अंत में, मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ताओं को उचित चरण में सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने सभी बचाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बचाव भी शामिल हैं, जिसे निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।